संख्या– 504 /VI-2 /2012–82(15)2012

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(07)

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2012

विषयः– त्रिदिवसीय रामनगर महोत्सव–2012 के आयोजन हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1602/सं0नि0उ0/दो–3/2012–13 दिनांक 21 सितम्बर, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–413/VI–2/2012–71 (17)/2011 दिनांक 25 जुलाई, 2012 के कम में 42– अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹ 50.00 लाख में से उक्त कार्यकम हेतु ₹ 33,21,890.00 (₹ तेतीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ साठ) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा उक्त के सापेक्ष ₹ 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) मात्र की धनराशि अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के नियम 162 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय व्यय किये जाने की सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012, तथा शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/ 2012 दिनांक 19 जून, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....(2)

3– उक्त आयोजन में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त अग्रिम धनराशि का नियमानुसार 02 माह अथवा 31 मार्च, जो भी पूर्व में हो, के भीतर समायोजन कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आयोजनोपरान्त वास्तविक व्यय के आधार पर मदवार व्यय विवरण देते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीषर्क–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 91(पी)/XXVII(3)/2012–13 दिनांकः 27 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 505 /VI-2/2012–82(15)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।